# कैबनिेट ने स्थानीय नकिायों में OBC आरक्षण दोगुना कयि‍ा

## चर्चा में क्यों?

- हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य भर में प्रतनिधित्वि बढ़ाने के उद्देश्य से OBC आरक्षण में वृद्धि की है।
- **प्रमुख OBC आरक्षण में वृद्धि:**
  - सरकार ने पंचायत और शहरी नकिायों में OBC आरक्षण को **25% से बढ़ाकर 50%** कर दयि‍ा है, जसिमें ज़लिा पंचायत अध्यक्ष और नगर नगिम महापौर जैसी भूमकिाएँ शामलि हैं, जबकयि‍ह सुनश्चिति कयि‍ा गया है कआिरक्षण जनसंख्या अनुपात के अनुरूप हो।
- **बहषि्करण की शर्त:**
  - **यह आरक्षण 50%** या उससे अधकि अनुसूचति जात/ि अनुसूचति जनजातआिरक्षण वाले नकिायों पर लागू नहीं होता है।

## भारत में आरक्षण को नयिंत्रति करने वाले संवैधानकि प्रावधान

- भाग XVI केन्द्रीय एवं राज्य वधिानमंडलों में **अनुसूचति जातयिों एवं अनुसूचति जनजातयिों** के आरक्षण से संबंधति है ।
- संवधिान के **अनुच्छेद 15(4) और 16(4)** राज्य और केंद्र सरकारों को अनुसूचति जातऔिर अनुसूचति जनजातकिे सदस्यों के लयिे सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षति करने का अधकिार देते हैं।
- संवधिान **(77वाँ संशोधन) अधनियिम, 1995** द्वारा संवधिान में संशोधन कयि‍ा गया तथा **अनुच्छेद 16 में एक नया खंड (4A) जोड़ा गया,** ताकि सरकार पदोन्नतमिें आरक्षण प्रदान कर सके।
- बाद में, आरक्षण देकर पदोन्नत **अनुसूचति जातऔिर अनुसूचति जनजात**िके उम्मीदवारों को परणिामी वरषि्ठता प्रदान करने के लयिे **संवधिान (85वें संशोधन) अधनियिम, 2001 द्वारा खंड (4A) को संशोधति** कयि‍ा गया।
- संवधिान के **81वें संशोधन अधनियिम, 2000 द्वारा अनुच्छेद 16 (4B)** को शामलि कयि‍ा गया, जो राज्य को कसिी वर्ष में अनुसूचति जातयिों/अनुसूचति जनजातयिों के लयिे आरक्षति रक्तियिों को अगले वर्ष भरने का अधकिार देता है, जसिसे उस वर्ष की कुल रक्तियिों पर पचास प्रतशित आरक्षण की अधकितम सीमा समाप्त हो जाती है।
- **अनुच्छेद 330 और 332** क्रमशः संसद और राज्य वधिानसभाओं में अनुसूचति जातयिों और अनुसूचति जनजातयिों के लयिे सीटों के आरक्षण के माध्यम से वशिषि्ट प्रतनिधित्वि का प्रावधान करते हैं।
- **अनुच्छेद 243D** प्रत्येक पंचायत में अनुसूचति जातयिों और अनुसूचति जनजातयिों के लयिे सीटों का आरक्षण प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 233T** प्रत्येक नगर पालकिा में अनुसूचति जातयिों और अनुसूचति जनजातयिों के लयिे सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
- **संवधिान के अनुच्छेद 335** में कहा गया है कप्रिशासन की प्रभावकारता बनाए रखने के लयिे अनुसूचति जनजातयिों और अनुसूचति जनजातयिों के दावों पर वचिार कयि‍ा जाएग

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/cabinet-doublesobc-reservation-in-local-bodies